

**M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2016**

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

Total No. of Questions : 7

कुल प्रश्नों की संख्या : 7

No. of Printed Pages : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

**CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE**

**संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया**

**First Question Paper**

**प्रथम प्रश्न-पत्र**

समय – 3:00 घण्टे

Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100

Maximum Marks – 100

**निर्देश :-**

**Instructions :-**

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक
--------------------	-------------------	---------------

**CONSTITUTION OF INDIA**

**भारत का संविधान**

- 1(a) Discuss the terms "Equality before Law" and "Equal Protection of laws" as provided in the constitution of India. State the exceptions to it also ? 8

“विधि के समक्ष समानता” एवं “विधि का समान संरक्षण” निबन्धनों की समीक्षा करें जैसा भारतीय संविधान में प्रावधानित है। इनके अपवाद भी बतायें।

- 1(b) Discuss the freedom of speech and expression. Does it include freedom of press also? What are the restriction on the exercise of this right ? 8

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर चर्चा करें। क्या इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। इस अधिकार के लागू करने में क्या-क्या प्रतिबन्ध हैं।

**CIVIL PROCEDURE CODE, 1908**

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908**

- 2(a) Explain the provisions about disposal of the suit at first hearing under order 15 of Civil Procedure Code, 1908. 8

प्रथम सुनवाई में वाद के निपटारे के संबंध में आदेश 15 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, के प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।

- 2(b) What do you understand by “Set-off” ? What are the essentials of “Set-off” ? 8

“मुजरा” क्या है ? मुजरा के सारतत्व क्या हैं ?

**TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882**

**संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882**

- 3(a) Explain the doctrine of election along with its exception. 8

चयन के सिद्धान्त की व्याख्या उसके अपवादों सहित करें।

- 3(b) What is fraudulent transfer ? 8  
कपटपूर्ण अंतरण से क्या आशय है ?

**INDIAN CONTRACT ACT, 1872**  
**भारतीय संविदा अधिनियम, 1872**

- 4(a) What is ratification of Contract ? Explain its essential elements ? 8

संविदा का परिसोधन (परिहार) क्या है ? इसके आवश्यक तत्व बताइये ।

- 4(b) What do you mean by “Consideration” ? Is an agreement made without consideration valid ? 8

प्रतिफल से आप क्या समझते हो ? क्या प्रतिफल के बिना किया गया करार वैध है ?

**SPECIFIC RELIEF ACT, 1963**  
**विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963**

- 5(a) Explain the power of the Court to award compensation in certain cases and Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. under the act ? 8

अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति के अवार्ड (अधिनिर्णय) करने व आधिपत्य, विभाजन, अग्रिमधन वापसी, आदि के अनुतोष स्वीकार करने के न्यायालय के अधिकारों की व्याख्या करें ।

- 5(b) Explain the provisions regarding rescission of contracts for the sale or lease of immovable property, where the specific performance of the contract has been already decreed. 8

स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिये जाने के लिये ऐसी संविदाओं का जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो के विखंडन से संबंधित प्रावधानों को समझाइये ।

**LIMITATION ACT, 1963**  
**परिसीमा अधिनियम, 1963**

6. Distinguish between Limitation and Prescription. 8  
परिसीमा व चिरभोग में भेद बतायें ।

**MIXED**  
**मिश्रित**

**7. Write Short-notes on : -**

12

- (A) Legal Representative.  
(B) “Public interest litigation”  
(C) “Privileged communication”

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-

- (अ) विधिक प्रतिनिधि  
(ब) “लोकहितवाद”  
(स) “विशेषाधिकृत संसूचनायें”

\*\*\*\*\*